बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए लोक अदालत

बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए 8 दिसंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन
बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए 8 व 9 दिसंबर को होगा लोक अदालत का आयोजन

नई दिल्लीः 5 दिसंबर। बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए बीएसईएस लोक अदालतों का आयोजन कर रही है। 32 अदालतें एकसाथ बिजली चोरी से जुड़े मामलों का निपटारा करेंगी। दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ मिलकर इन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

बीवाईपीएल उपभोक्ताओं के लिए 8 दिसंबर यानी शनिवार को जिला न्यायालय कड़कड़डूमा व आईटीओ स्थित पीएलए बिल्डिंग में लोक अदालत लगाई जाएगी। वहीं, बीआरपीएल उपभोक्ताओं के लिए 8 और 9 दिसंबर यानी शनिवार और रविवार को, जिला न्यायालय साकेत व द्वारका में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

बिजली की सीधी चोरी और मीटर से छेड़छाड़ कर जाने वाली चोरी–– दोनों तरह के मामलों का निपटारा इन अदालतों में किया जाएगा। ऐसे मामले जो किसी अदालत/ फोरम में लंबित हैं, उनका भी निपटारा यहां किया जाएगा और उन मामलों का भी, जिन्हें अब तक किसी अदालत में दाखिल नहीं किया गया है। ये अदालतें सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक चलेंगी।

बीआरपीएल उपभोक्ताओं के बिजली चोरी मामलों के मामलों के तत्काल निपटारे के लिए 20 अदालतें और बीवाईपीएल उपभोक्ताओं से संबंधित बिजली चोरी मामलों के तत्काल निपटारे के लिए 12 अदालतें बैठेंगी। लोगों की सहायता के लिए वहां हेल्प डेस्क भी लगाई जाएंगी, जहां इस कार्य के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित बीएसईएस अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

बिजली चोरी मामलों के निपटारे के बाद उपभोक्ता अपने सेटल्ड/फाइनल बिल का वहीं पर भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए एक विशेष कैश काउंटर की व्यस्था होगी। यही नहीं, भुगतान के बाद वे अदालत परिसर में ही बिजली के नए कनेक्शन/ री कनेक्शन के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। वैसे, बीएसईएस के निर्धारित ऑफिसों में भी तय रकम का भुगतान किया जा सकता है। सेटल्ड रकम के भुगतान के बाद उन्हें नो ड्यूज सर्टिफिकेट मुहैया करा दिया जाएगा।

जो उपभोक्ता लोक अदालत में बिजली चोरी से संबंधित अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहते हैं, वे यहां खुद आ सकते हैं, या अपने वकील/ अधिकृत प्रतिनिधि को भी भेज सकते हैं। उन्हें उनका आईडी प्रूफ और बिजली चोरी वाले बिल की कॉपी भी साथ में रखनी होगी।

बीआरपीएल के जिन डिविजनों में बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वे हैं– नजफगढ़, मुंडका, जाफरपुर, साकेत और सरिता विहार। वहीं, बीवाईपीएल के जिन डिविजनों में बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं, वे हैं– दरियागंज, पहाड़गंज, जीटी रोड, नंद नगरी और यमुना विहार। लोक अदालत से संबंधित करीब 20,000 पत्र/ नोटिस उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को भेजे गए हैं।

उपभोक्ताओं के बिजली चोरी मामलों के निपटारे के लिए यह आखिरी अवसर है। यदि वह इसमें डिफॉल्ट करते हैं, तो कंपनी उनके खिलाफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के प्रावधानों के मुताबिक, आपराधिक कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होगी।

लोक अदालत के आयोजन के बारे में उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचाने के लिए पत्र/ नोटिस भेजने के अलावा, बैनर, मुनादी, एसएमएस, वॉट्सऐप और ईमेल जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया जा जा रहा है। लोकप्रिय एफएम चैनलों की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

यह लोक अदालत, दक्षिण व पश्चिम दिल्ली में रहने वाले बीआरपीएल उपभोक्ताओं, तथा पूर्वी व मध्य दिल्ली में रहने वाले बीवाईपीएल उपभोक्ताओं/ याचिकाकर्ताओं को एक, वन–टाइम अवसर मुहैया कराएगी, ताकि बिजली चोरी से संबंधित उनके मामलों का तत्काल व परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा किया जा सके।

बीएसईएस ने अपनी पर्यावरण–हितैषी नीतियों का ध्यान में रखते हुए, इसे एक हरित यानी ग्रीन लोक अदालत के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है। बीएसईएस और डीएलएसए ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि यह लोक अदालत एक कागजविहीन यानी पेपरलेस लोक अदालत हो। गौरतलब है कि वहां फाइलों की आवाजाही नहीं होगी। बिजली चोरी के मामलों से संबंधित सभी जरूरी कागजात वहां कंप्यूटरों पर उपलब्ध होंगे।

बीएसईएस ने अपने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और बिजली चोरी से जुड़े अपने मामलों का यहां निपटारा करवाएं। यह उनके लिए सुनहरा मौका है। लोक अदालत उन्हें यह अवसर उपलब्ध करा रही है कि वे अपने मामलों का परस्पर स्वीकार्य ढंग से निपटारा करवाएं। यह उनके लिए काफी समय लेने वाली व खर्चीली कानूनी प्रक्रिया से बचने का अवसर भी मुहैया करा रही है। साथ ही, यह उन्हें कानूनी ढंग से बिजली का कनेक्शन लेने का मौका भी उपलब्ध करा रही है।

लोक अदालतें न सिर्फ उपभोक्ताओं व याचिकाकर्ताओं को तेजी से और परस्पर स्वीकार्य ढंग से अपने मामलों का निपटारा करवाने का अवसर देती हैं, बल्कि इनसे अदालतों पर से मुकदमों का बोझ कम करने में भी मदद मिलती है। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान आयोजित लोक अदालत में 8500 मामलों का ऑन–द–स्पॉट निपटारा किया गया था।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनियां बीआरपीएल और बीवाईपीएल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच संयुक्त उद्यम हैं।